नामो' सं' 1781

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

TWENTY THOUSAND RUPEES

रुपये

Rs.20000

राजस्थान RAJASTHAN

-:: विक्रय-पत्र ::-

हम बाली देवी पत्नि श्री चौथमल, उम्र 70 वर्ष, रामचन्द्र, मूलचन्द, महेन्द्र, जमन पुत्रान् श्री चौथमल, उम्र 43,32,30,28 वर्ष, शान्ति देवी, बिदामी देवी पुत्रियान् श्री चौथमल, उम्र 47,40 वर्ष समस्त जाति माली, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ।

जो कि ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरया, अन्तर्गत तहसील चौमूँ, जिला जयपुर मे निम्न सारणी अनुसार खातेदारी भूमि स्थित है :–

Scanned with CamScanner

क्रमांक 9669 विक्रय का दिनांक 05/03/14

मुद्रांक का मूल्य 1/20,000 + 1/20,000 = 2/40,000 = 40,000

क्रेता का नाम

पिता/पति का नाम रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति द्वारा अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष – तिगरिया

निवास स्थान

मुद्रांक खरीदने का प्रयोजन तथा सम्बन्धित पक्ष का प्रयोजन विक्रयपत्र

शंकर लाल जाट
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तहसील परिसर चौमू (जयपुर)
ला. नं.-50/05

चौमू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

233525

सारणी नम्बर 1 (खाता संख्या 255)

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किश्म
1–	2379	0.68 हैक्टेयर	चाही 1

कुल किता 1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर

उपरोक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 1 में वर्णित कुल खसरा किता–1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी हम विक्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

क्रमांक 9669 विक्रय का दिनांक 05/03/14
मुद्रांक का मूल्य 20,000 + 20,000 = 2 / 40,000 = 40,000
क्रेता का नाम
पिता/पति का नाम रामेश्वर प्रसाद मैमोरियल शिक्षा समिति जरिये अध्यक्ष, सं. कोषाध्यक्ष – तिगरिया
निवास स्थान
मुद्रांक खरीदने का कारण तथा सम्बन्धित कार्य का दस्तावेज विक्रयपत्र

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तहसील परिसर चौमूं (जयपुर)
ला. नं.-50/06

आज दिनांक 5 माह March सन् 2014 को 15:52 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री BALI DEVI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री CHOTH MAL
उम्र 70 वर्ष, जाति MALI व्यवसाय HW
निवासी TIGRIYA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU
(2014002995)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं0 2014002579 दिनांक 05/03/2014
पंजीयन शुल्क रू0 10000 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300 / –
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 4940 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 9370 / –
कुल योग रू0 24610 / –

(2014002995) उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-BALI DEVI /CHOTH MAL Age:70, Caste-MALI Ocu.-HW R/O-TIGRIYA			

सारणी नम्बर 2 (खाता संख्या 260)

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किश्म
1–	2380	0.73 हैक्टेयर	चाही 1

कुल किता 1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर

उपरोक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 2 में वर्णित कुल खसरा किता–1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी हम विक्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित हमारे हिस्से की भूमि पर हमारा ही कब्जा मालिकाना हक व अधिकार है। जिसे हमें हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने एवं बेचान व स्थानान्तरण करने के हक व अधिकार प्राप्त है। जिस पर आज से पूर्व का कोई ऋण कर भार आदि बकाया नही है। जो आज तक पूर्णतया पाक एवं साफ है।

यह कि हमें अपनी खानगी खर्च एवं अन्य कार्यो की पूर्ति हेतु रूपयो की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 1 में वर्णित कुल खसरा किता–1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण एवं सारणी नम्बर 2 में वर्णित कुल खसरा किता–1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण को मय इसमें स्थित बोल, सोल, डोल वृक्षादि सहित को समस्त स्वत्वों एवं मालिकाना अधिकारो सहित के मुबलिक 10,00,000/– रूपयें अक्षरे दस लाख रूपये के बदले

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

2-RAM CHANDRA /CHOTH MAL
Age:43, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

3-MOOL CHAND /CHOTH MAL
Age:32, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

4-MAHENDRA /CHOTH MAL
Age:30, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

5-JAMAN /CHOTH MAL
Age:28, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

6-SHANTI DEVI /CHOTH MAL
Age:47, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

7-BIDAMI DEVI /CHOTH MAL
Age:40, Caste-MALI
Ocu.-AGR
R/O-TIGRIYA

(And Claimant)
1-RAMESHWAR PRASAD MEMORIYAL S.SAMITI
SURENDRA MOHAN /RAM NARAYAN
Age:0, Caste-AHIR
Ocu.-BUSI
R/O-CHAK MANOHARPURA AMER

2-DHARMENDRA YADAV /GOPI RAM
Age:0, Caste-YADAV
Ocu.-BUSI
R/O-MANOHARPURA SHAHPURA

3-MEGHRAJ YADAV /RAMESHWAR PRASAD
Age:0, Caste-AHIR
Ocu.-BUSI
R/O-MANOHARPUR SHAHPURA

ने लेख्यपत्र **Sale Deed (Conveyance deed)**
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 1000000/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 1000000/–पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

कतई बेचान **रामेश्वर प्रसाद मैमोरियल शिक्षा समिति, कालू का बास, पं. तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर पंजीयन क्रमांक 850 जयपुर/2013-14 जरिये अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम चक मनोहरपुर, तहसील आमेर, जिला-जयपुर (राज.) एवं जरिये सचिव श्री धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.) एवं जरिये कोषाध्यक्ष श्री मेघराज यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)** वाले को बेचान कर दिया है एवं बिचौति की राशि 10,00,000/– रूपये अक्षरे दस लाख रूपये का एक चैक संख्या 000036 बैंक ऑफ महाराष्ट, शाखा मनोहरपुर का प्राप्त कर लिया है जिन्हे जरिये इस लेख पत्र के नगद प्राप्त करना स्वीकार करता हूँ, एवं विक्रित भूमि का कब्जा मालिकाना क्रेता सोसायटी को वास्तविक रूप से सम्भला दिया है, करा दिया है।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि से मुझ विक्रेता व मेरे वारिसान भाई बन्धु गोती, नाती, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट नोमिनी आदि का कोई हक सम्बन्ध व अधिकार नही रहा है एवं न ही कभी भविष्य में रहेगा।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि का क्रेता सोसाइटी अपने स्वयं के नाम से नामान्तकरण खुलवाएं, खातेदारी अधिकार प्राप्त करें। क्रेता सोसायटी भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवायें, शुल्क जमा करवायें, आंवटन आदेश प्राप्त करें, एवं अपने हिसाब से आवश्यक निर्माण

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

mDr fu"iknu drkZ dh igpku

1- Jh@Jherh@lqJh LOKESH YADAV
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM NARAYAN उम्र 22 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी CHAK MANOHAR PUR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री DINESH SAINI
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री. MAMRAJ उम्र 40 वर्ष
जाति MALI व्यवसाय AGR
निवासी TIGRIYA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2014002995) उप पंजीयक, CHOMU
(Sale Deed (Conveyance deed))

करवायें, चाहे तो किसी अन्य को बेचान व हस्तान्तरण करें, विद्युत कनेक्शन प्राप्त करें, सभी अधिकारों से पूर्णतया मालिक स्वामी हो गया एवं सदैव भविष्य में रहेगा। उक्त कार्यवाहीयों में जहां कही भी क्रेता समिति को मुझ विक्रेता के हस्ताक्षर बयान आदि की आवश्यकता होगी तो इसके लिए मै विक्रेता सहर्ष क्रेता सोसाइटी का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य एवं तैयार रहूंगी।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि आज से पूर्व पूर्णतया पाक एवं साफ है, आज से पूर्व का कोई ऋण, कर, भार एवं कोई जन साधारण का झगडा टन्टा नही है यदि कोई होगा एवं निकलेगा तो उन सभी की भरपाई एवं चुकारा मै स्वयं विक्रेता समिति अपने स्वयं के खर्चे के साथ करने के लिए बाध्य रहूंगा उक्त विक्रित भूमि की उक्त बिचौती के विरूद्ध कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की उज्रदारी, आपत्ति करेगे या उठायेगें तो उन सभी का पूर्ण तस्फीया एवं चुकारा मै स्वयं विक्रेता अपने खर्चे के साथ वहन करने के लिए बाध्य रहूंगा।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि के सम्बन्ध में जो भी हक व अधिकार मुझ विक्रेता समिति को प्राप्त थे वे सभी स्वत्वाधिकार जरिये इस विक्रय पत्र के क्रेता सोसाइटी को प्राप्त हो गये है एवं सदैव भविष्य में भी रहेगें।

—: विक्रित कृषि भूमि का संक्षिप्त विवरण :—

ग्राम तिगरिया, अन्तर्गत तहसील चौमूं, जिला—जयपुर में स्थित भूमि उक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 1 में वर्णित कुल खसरा किता—1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण एवं सारणी नम्बर 2 में वर्णित कुल

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1000000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 9370 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 10000 कुल रूपये 24610
ज़रिये रसीद संख्या 2014002579 दिनांक **05/03/2014**
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 49370
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2014002995) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))
उप पंजीयक-चौमूं

आज दिनांक **20/03/2014** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 516
में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 2014002421 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1842
के पृष्ठ संख्या 191 से 201 पर
चस्पा किया गया।

(2014002995) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))
उप पंजीयक-चौमूं

खसरा किता–1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण का बेचान किया गया है। विक्रित भूमि मौके पर चाही है। जो मुख्य रोड से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

यह है कि इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता सोसाइटी ने ही वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मैने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच, समझ, व पढ सुनकर सही मानते हुये 40,000/– रूपये के स्टाम्प कीमती किता दो एव पेपर किता चार पर तहरीर व तकमील करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति0 दिनांक

नोट :- **इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।**

हस्ताक्षर विक्रेता :-

हस्ताक्षर गवाहान :-

1– हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता का नाम रामनारायण यादव
निवासी ....

हस्ताक्षर क्रेता सोसायटी जरिये

सचिव/अध्यक्ष/कोषाध्यक्षः-

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता का नाम ....
निवासी ....

प्रारुप (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

कमांक आर.ए. / रूपा0 / 20 / 76 दिनांक 15/7/2020

संपरिवर्तन आदेश

रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिर्वतन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति का नाम सहित पूरा पता	**रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास।**
2	क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील	तिगरिया , तिगरिया , चौमूॅं।
	(ख)भूमि का खसरा सख्या एवं प्रत्येक ख0स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 4545 / 2379 रकबा 0.6632 है0 में सें 0.6204 है0, ख0न0 4547 / 2380 रकबा 0.0188 है0 में सें 0.0166 है0 किता–02 कुल रकबा 0.6370है0।
	(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए ,राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 4545 / 2379 रकबा 0.6632 है0 में सें 0.6204 है0, ख0न0 4547 / 2380 रकबा 0.0188 है0 में सें 0.0166 है0 किता–02 कुल रकबा 0.6370है0। अर्थात (6370 व0मी0)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	23.52 / – प्र0व0मी0
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 404 (GRN **37369498**) दिनांक 03.02.2020 जमा दिनांक 03.02.2020 से रु0 35,000 / – 76 (GRN **40829010**) दिनांक 14.07.2020 जमा दिनांक 14.07. 2020 से रु0 173811 / – कुल रु0 208811 / –
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	–––
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	–––
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	–––
10	अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	1. ख0न0 4546 / 2380 रकबा 0.0012है0, ख0न0 4544 / 2379 रकबा 0.0168है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता आवेदक के द्वारा निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है। 2. ख0न0 4547 / 2380 रकबा 0.0022है0, ख0न0 4545 / 2379 रकबा 0.0428है0 किता–2 कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस सें प्रभावित होने सें रूपान्तरण नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जावेगा।
6. आवेदित भूमि ख0न0 4547/2380 रकबा 0.0022है0, ख0न0 4545/2379 रकबा 0.0428है0 किता– 2 कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस सें प्रभावित भूमि का उपयोग केवल मात्र पहुच मार्ग में लिया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य व अकृषि उपयोग में नही किया जा सकेगा। उक्त भूमि मार्ग अधिकार के काम में आयेगी।
7. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 6 (6) राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 एव इस सम्बन्ध मे जारी अन्य परिपत्रो/निर्देशो की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट (राज.) चौमूं–जयपुर

(हिम्मत सिंह)
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

प्रतिलिपि :–

कमांक सम/20/77-80

दिनांक 15/6/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूँ।
3. ग्राम पॅचायत तिगरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास ।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमूँ (जयपुर)
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर